# राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषय— राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 04/02/2020 को संपन्न 309वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 309वीं बैठक श्री शैलेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 04/02/2020 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार मौर्या, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री गीतेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यू.ए. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री [illegible], सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया—

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–1**

**दिनांक 16/01/2020, 17/01/2020, 18/01/2020 एवं 20/01/2020 को संपन्न क्रमशः 305वीं, 306वीं, 307वीं एवं 308वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 305वीं, 306वीं, 307वीं एवं 308वीं बैठक क्रमशः दिनांक 16/01/2020, 17/01/2020, 18/01/2020 एवं 20/01/2020 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री सुनील कुमार पटेल (बम्हनीडीह सेण्ड माईन्स, ग्राम–बहुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर), बी रायगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1056)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 130503 /2019, दिनांक 12/12/2019।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बहुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ईब नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित उत्खनन क्षमता–60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया जावे।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय कुमार पुत्र, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री विवेक साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अम्हीरा दिनांक 02/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के ज्ञापन प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित का घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2174/खनिज/ख.लि.3/उत्खनन पी./2019 अंबिकापुर, दिनांक 29/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 336/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 जशपुर, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 336/खनिज/ख.लि. 3/रेत/2019 जशपुर, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, डैम, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 278/गौण ख./नीलामी/न.क्र./19, जशपुर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पत्थलगांव 1 कि.मी., स्कूल 3 कि.मी. एवं अस्पताल 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23.0 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.205 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के

आवासस्थल से 205 मीटर की दूरी पर कुआ स्थित है। एनीकट की दूरी 800 मीटर से अधिक है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 325 मीटर, न्यूनतम 315 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 136 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के पूर्वी किनारे से दूरी 40 मीटर एवं पश्चिमी किनारे से दूरी 140 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा – 60,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 30/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 60 | 2% | Rs. 1.20 | Following activities at Nearby Government Primary School Village-Baluwabahar | |
| | | | Rain Water | Rs. 0.30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Harvesting System | |
| | | | Potable drinking water facility | Rs. 0.20 |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.20 |
| | | | Solar lighting system | Rs. 0.30 |
| | | | Plantation work | Rs. 0.20 |
| | | | Total | Rs. 1.20 |

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि –

   i. नये Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार–

   "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side."

   ii. वर्तमान में नीचे पुल से 265 मीटर की दूरी पर स्वीकृत है। नये गाइडलाईन अनुसार स्वीकृत रेत खदान के डाउनस्ट्रीम में पुल से कम से कम 500 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः अतिरिक्त 235 मीटर लंबाई को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत की जानी होगी।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 600 नग पौधे – 300 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 300 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। पहुंच मार्ग पर 300 नग पौधे लगाए जायेंगे।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. नये गाइडलाईन अनुसार रेत उत्खनन हेतु अतिरिक्त 235 मीटर लंबाई को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर, गणना प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स श्री हैप्पी अग्रवाल (टांगरगांव सेण्ड माईन, ग्राम–टांगरगांव, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर), अम्बिकापुर रोड, पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1056)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/131067/2018 दिनांक 13/12/2018।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–डाण्डगांव, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 826, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मैनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्संबंध **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह की लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में तकनीकी समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हैप्पी अग्रवाल, कंसल्टेंट एवं श्री विवेक साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डोंगरगांव का दिनांक 02/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2227/खनिज/खलि 3/उत्खनन यो/2019 अंबिकापुर, दिनांक 10/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 341/खनिज/स.लि./रेत/2019 जशपुर, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 344/खनिज/स.लि./रेत/2019 जशपुर, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, डैम, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 277/नीस. खनिज./नीलामी/रा.क./2019 जशपुर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डोंगरगांव 1 कि.मी., स्कूल 1 कि.मी. एवं अस्पताल 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.2 कि.मी. दूर है। पुल 565 मीटर दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 205 मीटर, न्यूनतम 150 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 80 मीटर दर्शाई गई

है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी 25 मीटर एवं दक्षिणी किनारे की दूरी 80 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** — आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई — 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई — 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा — 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) उपरांत दिनांक 30/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 87 | 2% | Rs. 1.74 | Following activities at Nearby Government Primary School Village-Tangargaon | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.60 |
| | | | Potable drinking water facility | Rs. 0.20 |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.20 |
| | | | Solar lighting system | Rs. 0.40 |
| | | | Plantation work | Rs. 0.34 |
| | | | **Total** | **Rs. 1.74** |

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मैनी नदी छोटी नदी है तथा इससे वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—**

1. आवेदित खदान (ग्राम–टांगरगांव) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गई।

2. **वृक्षारोपण कार्य** — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, नीम, आम आदि) पौधे लगाए जावेंगे। पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जावेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत की पुनर्भरण (Replenishment) मात्रा, सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनर्भरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी किए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्षों तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री [illegible] अग्रवाल, टांगरगांव सैण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 628, ग्राम–टांगरगांव, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी

दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (रामपुर सेण्ड माईन, ग्राम–रामपुर, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा), खरसिया नाका चौक, तहसील– अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1080)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 131410/2019, दिनांक 14/12/2019।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–रामपुर, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 285, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उत्खनन मानव श्रमों से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्खनन क्षमता–77,004 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तदनुसार **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(4) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेश देव पाण्डेय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गहन, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामपुर दिनांक 15/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2236/खनिज/ख.लि.3/उत्खनन यो./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2247/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 11/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2244/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी मंदिर, मस्जिद, श्मशान, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। इसके अतिरिक्त पुल/डीज/कलवर्ट 105 मीटर दूर है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2104/खनिज/ख.लि.3/रेत/19 अम्बिकापुर, दिनांक 22/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रामपुर 1 कि.मी., स्कूल 1 कि.मी. एवं अस्पताल 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.105 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24.4 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के अपस्ट्रीम में 105 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 240 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 85 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदीतट के उत्तरी किनारे से दूरी 50 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी 3 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा – 77,904 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 8 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) यथा दिनांक 29/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 78 | 2% | Rs. 1.56 | Following activities at Nearby Government Primary School Village-Radhapur | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.50 |
| | | | Potable drinking | Rs. 0.20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | water facility | |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.30 |
| | | | Solar lighting system | Rs. 0.40 |
| | | | Plantation work | Rs. 0.28 |
| | | | **Total** | **Rs. 1.56** |

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पुल की तरफ 200 मीटर सुनिश्चित किए जाने तथा नदी पाट के चौड़ाई के 10 प्रतिशत क्षेत्र छोड़े जाने के लिए लीज क्षेत्र में 11,048 वर्गमीटर क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। नये माइनिंग गाईडलाईन अनुसार पुल से 250 मीटर तथा नदी पाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत क्षेत्र छोड़े जाने पर कुल 15,573 वर्गमीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र होता है। अतः रेत उत्खनन का कार्य 3.44 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मान्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, नीम, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, जलीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनर्भरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी लिए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100

मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े जनवरी 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, रामपुर सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 285, ग्राम–रामपुर, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा, कुल लीज क्षेत्र 3.44 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 34,400 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स सहगांव लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती जानमति सिंह), ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 886)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /24815/2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48456/ 2018, दिनांक 18/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 256, 258, 257/1,2,3, 258, 259, 260/1,2,3, 261, 262, 263, 268, 275 एवं 276, कुल लीज क्षेत्र 4.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 81,250 टन प्रतिवर्ष एवं प्राक्कलित क्षमता – 81,250 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत पथरिया (सह.) द्वारा दिनांक 22/06/2007 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन इन एप्रूव्ड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/ चूप/ खयो–1096/ 2017–रायपुर/231 दिनांक 08/06/2017 (वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 888 दिनांक 19/06/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें रकबा 25.05 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।

4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सहगांव 160 मीटर, प्राथमिक स्कूल ग्राम–सहगांव 180 मीटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम–सहगांव 210 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हाउस 18.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी. एवं राजमार्ग 375 मीटर है। शिवनाथ नदी 225 मीटर एवं नाला 200 मीटर दूर है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु श्री राजेन्द्र सिंह के नाम पर एल.ओ.आई. दिनांक 27/03/2010 को जारी किया गया था। माईनिंग प्लान श्री राजेन्द्र सिंह के नाम पर दिनांक 30/12/2010 को अनुमोदित किया गया। लीज स्व. श्री राजेन्द्र सिंह की धर्म पत्नी श्रीमती ज्ञानमति सिंह के नाम पर दिनांक 29/05/2012 को हस्तांतरित हुई। लीज डीड 30 वर्षों के लिए दिनांक 28/08/2012 से 28/08/2042 तक की अवधि हेतु है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व 24,58,125 टन एवं माईनेबल रिजर्व 19,08,125 टन है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। क्रशर यूनिट (100 TPD) 0.28 हेक्टेयर पर स्थित है। क्रशर से उड़ने वाले धूल उत्सर्जन की रोकथाम हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था एवं क्रशर को कवर्ड किया गया है। वर्तमान में गहराई 8 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अंतिम गहराई 30 मीटर होगी। अल्टीमेट बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 4.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 31 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 6.53 किलोलीटर प्रतिदिन है। जल का स्त्रोत बोरवेल/टैंकर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (7,910 वर्गमीटर) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षा का जल संग्रहित करने हेतु जल संग्रहण संरचना (तालाब) निर्मित की जाएगी। विगत 5 वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वित्तीय वर्ष | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 2013–14 | निरंक |
| 2014–15 | 10,580 |
| 2015–16 | 11,420 |
| 2016–17 | 7,400 |
| 2017–18 | निरंक |

**उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन) |
|---|---|
| 2017–18 | 50,825 |
| 2018–19 | 77,187 |
| 2019–20 | 73,150 |
| 2020–21 | 51,062 |
| 2021–22 | 41,562 |
| **कुल** | **2,93,786** |

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:**

समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 18 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 18 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 6 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{x}$ 14.2 से 19.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रीगुरु, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ग्रीन सिटी इन्फ्राटेक सेंटर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जनवरी से मार्च 2016 तक 1,770 टन एवं वर्ष 2016-17 में 7,400 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में दिये गये प्रस्ताव अनुसार "The generated top soil will be utilized for plantation on the 7.5 meter non mining limit zone over the old soil dump area (5930 sqm) some fresh area about 3290 sqm and the height of the soil dump will be about 10.0 meter and cover about 6180 sqm area (including about 20% extra area for swelling and angle of repose will be maintained as 28°)" ऐसा बताया गया है। जबकि सामान्यतः 1.88 मीटर की ऊंचाई तक ही रखा जा सकता है। उक्त प्रस्ताव तकनीकी रूप से युक्तियुक्त नहीं है।
4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आंकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / प्रदूषण नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थान का नाम, पता एवं कार्यान्वयन व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. कलस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति भूमिगत में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। इस हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

11. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेढ़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

12. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है–**

i. इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या अतिक्रमण से पीड़ित हाईवे रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़ियाँ चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से प्राथमिकता राशि से संधारण करवाया जावे। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रेशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रेशर को पूर्णतः ढककर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाले पानी को कृषक में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिसका पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उसमें बहुत दुर्घटना होती है। इसकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है–**

i. डी.एम.एफ. की राशि एवं सीएसआर की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी संग्रहित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शा में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बैकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है। अतः तत्संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. क्षेत्र के वाटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. वर्तमान अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

8. वर्तमान अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं रखरखाव, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का

उद्यान, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपर्युक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति खदान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

12. इन्वॉयरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स आनंद इंटरप्राईजेस (सहगांव लाईम स्टोन माईन), ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 987)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/62857/2017, दिनांक 04/03/2017 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/48478/2017, दिनांक 15/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह दिनांक 07/10/2014 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं 384, 375, 381, 382 एवं 383, ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.237 हेक्टेयर है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 225वीं बैठक दिनांक 15/05/2017 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैं–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत सहगांव द्वारा दिनांक 14/06/1998 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक दुर्ग/चूना/खयो–375/भाग/2016/15–रायपुर, दिनांक 09/06/2016 (वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 2191 दिनांक 17/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 13 खदानें रकबा 73.28 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम शहर दुर्ग 25.4 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई नगर लगभग 22.67 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** – लीज क्षेत्र की अवधि आनंद इंटरप्राईजेस के नाम पर है, जो 20 वर्षों अर्थात 10/10/1996 से 09/10/2016 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के पत्र क्रमांक 1283/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

7. माईनेबल रिजर्व 14,38,786 टन है। लीज क्षेत्र में पिट 1 एवं पिट 2 कुल दो पिट है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन सेमी मेकेनाईज्ड ओपन कास्ट विधि से किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। बेंच की अंतिम (अल्टीमेट) ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर होगी। पिट 1 में 11 मीटर गहराई तक एवं पिट 2 में 28 मीटर गहराई तक उत्खनन हो गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 35 मीटर होगी। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 3 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 1 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

उत्खनन की योजना

| वित्तीय वर्ष | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 1996–1997 | 120 |
| 1997–1998 | 2,000 |
| 1998–1999 | 1,528 |
| 1999–2000 | 2,490 |
| 2000–2001 | 1,791 |
| 2001–2002 | 3,100 |
| 2002–2003 | 2,895 |
| 2003–2004 | 3,475 |
| 2004–2005 | 4,800 |
| 2005–2006 | 3,800 |
| 2006–2007 | 4,950 |
| 2007–2008 | 16,200 |
| 2008–2009 | 15,200 |
| 2009–2010 | 25,700 |
| 2010–2011 | 32,000 |
| 2011–2012 | 15,500 |
| 2012–2013 | 16,000 |
| 2013–2014 | 25,000 |
| 2014–2015 | 32,000 |
| 2015–2016 | 15,540 |

| | |
|---|---|
| 2016–2017 | निरंक |
| 2017–2018 | निरंक |
| 2018–2019 | निरंक |

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

| वित्तीय वर्ष | संभावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्खनन क्षमता (टन) | रिजेक्ट (टन) |
|---|---|---|---|
| 2016–2017 | 18,107 | 40,000 | 1,811 |
| 2017–2018 | 18,163 | 40,000 | 1,816 |
| 2018–2019 | 18,034 | 40,000 | 1,803 |
| 2019–2020 | 17,968 | 40,000 | 1,797 |
| 2020–2021 | 18,012 | 40,000 | 1,801 |

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का सन्निकटीकरण किया गया है।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** :– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2017 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**
   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 6.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_x$ 14.2 से 19.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में वास्तविक समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

**6. मेसर्स हेमंत कुमार साहू (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन्स), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 526)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /60450/2016, दिनांक 16/11/2016 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 49481/ 2017, दिनांक 18/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान खसरा नं. 1898 (पार्ट), 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 (पार्ट), 1905 एवं 1906 (पार्ट), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 1.48 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदनी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित चूना पत्थर खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य 10 चूना पत्थर खदानें कुल रकबा 68.26 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है।

3. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम—महली—खुटनी 1 कि.मी. रेल्वे स्टेशन [illegible] लगभग 20.3 कि.मी. एवं शहर दुर्ग लगभग 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 28 कि.मी. दूर है।

4. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लीज का विवरण** — पूर्व में मूल लीज मेसर्स [illegible] ट्रांसपोर्ट, पार्टनर श्री राजेश चौधरी के नाम पर दिनांक 07/05/1999 से 20 वर्ष हेतु अर्थात 06/05/2019 तक था। लीज का हस्तांतरण दिनांक 21/12/2009 को श्री हेमंत कुमार साहू के नाम पर किया गया। लीज का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट दिनांक 20/01/2015 को किया गया है। लीज डीड 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 07/05/1999 से 06/05/2019 तक की अवधि हेतु थी। वर्तमान में दिनांक 07/05/2019 से 06/05/2049 तक की अवधि हेतु Deemed renewal के तहत् आवेदन किया गया है।

6. जियोलॉजिकल रिजर्व 3,72,150 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,38,100 टन है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर/ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। उत्खनन की कुल गहराई 28 मीटर होगी। वर्तमान में एक स्थान पर 23 मीटर की गहराई तक खुदाई हुई है। खदान की सम्भावित आयु 7 वर्ष है। जल उपयोग की मात्रा 5 किलोलीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेशन 3 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 1 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 1 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्त्रोत वाटर टैंकर एवं बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

उत्खनन की योजना

| वित्तीय वर्ष | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 2009—10 | 3,356 |
| 2010—11 | 3,256 |
| 2011—12 | 1,760 |
| 2012—13 | 2,211 |
| 2013—14 | निरंक |
| 2014—15 | |
| 2015—16 | |
| 2016—17 | |
| 2017—18 | |
| 2018—19 | |

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

| वर्ष | आयतन (घनमीटर) | उत्पादन क्षमता (टन) | उत्पादन क्षमता (टन) |
|---|---|---|---|
| 2016–2017 | 1,800 | 4,500 | 20,250 |
| | 6,300 | 15,750 | |
| 2017–2018 | 1,800 | 4,500 | 21,000 |
| | 6,600 | 16,500 | |
| 2018–2019 | 4,800 | 12,000 | 24,750 |
| | 5,100 | 12,750 | |
| **कुल** | **26,400** | **66,000** | **66,000** |

7. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 17/07/2017 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–
   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_x$ 14.2 से 19.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरूप है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 58.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 20.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण हेतु आने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमंत कुमार साहू, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट कंसलटेंट के रूप में मेसर्स इन सिटू इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013-14 से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिमापन (Noise Modeling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.10 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में प्रस्तावित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम-मेड़ेसरा तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
10. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**
    i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अधिभार से अधिक लोडिंग रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती हैं, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जावे। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।
    ii. निर्धारित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं बाजार जो चालू

होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। शासन को पूर्णतः स्पष्ट होकर जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाले पानी को मुफ्त में किसानों को सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

xiii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

xiv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

xv. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिसमें पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

xvi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है–**

i. डी.एम.एफ. की राशि या सीएसआर की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी संग्रहित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बैकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं लीज

ऊपरी मिट्टी के संचित स्थल–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिमान (Noise Modeling) नहीं किया गया है। अतः मानक का जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उसका के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. प्रारम्भ वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं रखरखाव, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का एकीकृत प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

9. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

10. इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

**7. मेसर्स नंदिनी–खुंदिनी लाईम स्टोन माईन (श्री संतोष मिनरल्स), ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 534)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /61134/2016, दिनांक 21/12/2016 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46013/ 2016, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 443, 444 एवं 446, ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.11 हेक्टेयर है। खदान की अपेक्षित उत्पादन क्षमता –

8,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 285वीं बैठक दिनांक 14/08/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा दिनांक 11/02/2009 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग/चू.प./खनी–439 /भाग/04–रायपुर दिनांक 11/08/2016 (वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित चूना पत्थर खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य 11 चूना पत्थर खदानें कुल रकबा 88.85 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल 0.83 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–नंदनी–खुंदनी 0.975 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.24 कि.मी. है। शिवनाथ नदी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री संतोष कुमार के नाम पर था। श्री संतोष पांडे के देहावसान हो जाने कारण उनकी पत्नि श्रीमती अर्चना पांडे के नाम पर लीज के हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। लीज डीड 20 वर्ष अवधि 11/10/1995 से 10/10/2015 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1283 दिनांक 05/10/2015 द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अधीन खनिपट्टा अवधि वृद्धि बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन का प्रकरण नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 1030(अ) दिनांक 08/03/2018 तथा ओ.एम. दिनांक 15/03/2018 एवं 16/03/2018 अनुसार निर्धारित समयावधि में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया गया है।
8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1051/खनि. लि./खनिज/2018 दुर्ग, दिनांक 02/11/2018 द्वारा जारी वर्ष 2014–15 से वर्ष 2017–18 तक की वर्षवार उत्खनित मात्रा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उत्खनन निरंक बताया गया है।
9. जियोलॉजिकल रिजर्व 9,33,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 88,300 टन है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में भू–भाग के 2.02 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 14 मीटर है। खदान की

प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। विगत पांच वर्षों में उत्खनित खनिज की मात्रा 33,915 मीट्रिक टन है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 4 किलोलीटर प्रतिदिन है एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है जिसका स्रोत ट्यूबवेल है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

उत्खनन की योजना

| वित्तीय वर्ष | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 1996–1997 | 5,756 |
| 1997–1998 | 1,028 |
| 1998–1999 | 2,700 |
| 1999–2000 | 3,340 |
| 2000–2001 | 721 |
| 2001–2002 | 8,123 |
| 2002–2003 | 9,174 |
| 2003–2004 | 8,727 |
| 2004–2005 | 7,125 |
| 2005–2006 | 3,368 |
| 2006–2007 | 9,571 |
| 2007–2008 | 16,021 |
| 2008–2009 | 7,262 |
| 2009–2010 | 7,639 |
| 2010–11 | 3,884 |
| 2011–12 | 3,250 |
| 2012–13 | 7,400 |
| 2013–14 | 6,825 |
| 2014–15 | निरंक |
| 2015–16 | |
| 2016–17 | |
| 2017–18 | |
| 2018–19 | |

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का पूर्णांकीकरण किया गया है।

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

| वर्ष | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | गहराई (मीटर) | आयतन (घनमीटर) | उत्खनन क्षमता ROM (टन) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2016 | Actual | | | – |
| 2016–2017 | 1,200 | 3.0 | 3,600 | 9,000 |
| 2017–2018 | 1,200 | 3.0 | 3,600 | 9,000 |
| 2018–2019 | 1,200 | 3.0 | 3,600 | 9,000 |
| 2019–2020 | 1,200 | 3.0 | 3,600 | 9,000 |

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2018 द्वारा प्रकरण बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा स्लाईड, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 9 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 62 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.0 से 13.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_x$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 29.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमित पाढ़े, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट कंसलटेंट के रूप में मेसर्स इन मिंडु इन्फ्राटेक कोसर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014–15 से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.10 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. ब्लास्टिंग हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति माईनपिट में संग्रहित जल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से द्वारा अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेढ़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
10. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है–**
    i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अधिकारा से पीडन हैवीयल रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उच्चस्तरीय से संधारण करवाया जावे। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।
    ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रेशर भी चालू होना उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रेशर को पूर्णतः ढककर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाले पानी को मुफ्त में किसानों को सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।
    iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
    iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

x. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं, जिनमें पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। खानों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। औद्योगिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

xi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, जिससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–**

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी संग्रहित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बैकफिलिंग) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आंकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः तत्संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यान्वयन प्लान का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु संयुक्त इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्मित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर की सड़कों/एप्रोच रोड का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण एवं रखरखाव, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

9. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति खदान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

10. इन्वॉयरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**8. मेसर्स नंदनी-खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 738)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /28529/2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48532/ 2018, दिनांक 16/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1894, 1908 एवं 1911(पी), कुल लीज क्षेत्र 4.55 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष एवं क्रशिंग क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी-खुंदनी द्वारा दिनांक 18/02/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिव्यूइंग ऑफ माईनिंग प्लान एलांगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के ज्ञापन क्रमांक डीजीएमई/ एमएमसी /एमपीएलएन-07/नागपुर दिनांक 14/06/2013 (वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2289 दिनांक 28/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 11 खदानें रकबा 08.10 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।

4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम-नंदिनी-खुंदनी 0.7 कि.मी., शहर दुर्ग 28 कि.मी., स्कूल ग्राम-नंदिनी-खुंदनी 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-अहिवारा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.15 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.45 कि.मी. की दूरी है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** — लीज क्षेत्र श्रीमती नंदिनी देवी मिश्रा के नाम पर है। पूर्व में लीज क्षेत्र 20 वर्षों के लिए दिनांक 14/06/1993 से 13/06/2013 तक की अवधि हेतु थी।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 08/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

8. जियोलॉजिकल रिजर्व 6,43,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,42,300 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 18 मीटर एवं अंतिम गहराई 27 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 7 किलो लीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 3 किलो लीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलो लीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलो लीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है। जल का स्त्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। क्रेशर की स्थापना की गई है। क्रेशर का क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है तथा क्रेशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। विगत वर्षों में उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

**उत्खनन की योजना**

| वित्तीय वर्ष | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 1994-1995 | 22,437 |
| 1995-1996 | 49,240 |

| | |
|---|---|
| 1996–1997 | 35,900 |
| 1997–1998 | 31,850 |
| 1998–1999 | 19,300 |
| 1999–2000 | 20,900 |
| 2000–2001 | 10,440 |
| 2001–2002 | 14,500 |
| 2002–2003 | 52,450 |
| 2003–2004 | 54,400 |
| 2004–2005 | 17,600 |
| 2005–2006 | 21,300 |
| 2006–2007 | 8,800 |
| 2007–2008 | 13,300 |
| 2008–2009 | 26,100 |
| 2009–2010 | 15,750 |
| 2010–2011 | 19,500 |
| 2011–2012 | 39,200 |
| 2012–2013 | 93,090 |
| 2013–2014 | 49,901 |
| 2014–2015 | 23,062 |
| 2015–2016 | 16,525 |
| 2016–2017 | 22,500 |
| 2017–2018 | निरंक |
| 2018–2019 | निरंक |

**नोट:** तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

**उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना**
(रिव्यूव्ड ऑफ माइनिंग एलांग विथ प्रोग्रेसिव क्लोजर प्लान अनुसार)

| वर्ष | उत्खनन क्षमता (टन) |
|---|---|
| 2013–14 | 22,500 |
| 2014–15 | 22,500 |
| 2015–16 | 24,750 |
| 2016–17 | 32,250 |
| 2017–18 | 38,750 |

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का.आ. 1020 (अ) दिनांक 08/03/2016 के प्रावधानों के अनुसार इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी

ए.ए.) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) ओपन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 18/01/2020**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 48.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_X$ 14.2 से 18.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 39.1 डीबीए से 58.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिया जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री टी.आर. मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ग्रीन सिटी इन्वायरो टेक, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जनवरी से मार्च 2016 तक 16,900 टन एवं वर्ष 2016–17 में 22,000 टन उत्खनन किया गया है। वर्ष 2017–18 से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.10 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, ग्राम एवं आवंटन राशि का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. पौधरोपण हेतु [illegible] इन्वायरमेन्टल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति खदान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. इन्वायरमेंट कॉर्पोरेट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेडेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
11. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है–**
    - i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अतिभार से चौबीस घंटे रोड पर मिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़ियां चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।
    - ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे सावधान एवं ब्लास्ट की बारूद होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। ब्लास्ट को पूर्णतः कपड़े ढंककर जाल बिछाकर की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में किसानों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।
    - iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
    - iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। शासन के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

x. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट की भी गहरी खदानें है, जिनसे पानी उतरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अधिकारिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

xi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी गाड़ियां चलती है, जिससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–**

i. डी.एम.एफ. की राशि या सीएसआर की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान में उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बैकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. उत्खनन आदि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार आवश्यक कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आग्मेंटेशन प्लान, इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

8. उत्खनन आदि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु निश्चित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का सामूहिक प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

12. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**9. मेसर्स नंदनी-खुंदनी लाईम स्टोन माईन्स (श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 72)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /31793/2018, दिनांक 15/10/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48630/ 2015, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह दिनांक 07/10/2014 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 1909(पी), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 1.82 हेक्टेयर है। खदान की अपेक्षित

उत्खनन क्षमता – 46,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 227वीं बैठक दिनांक 13/06/2017 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा दिनांक 18/02/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक सीजी/एलएसटी/एमपीएलएस–808/ नागपुर दिनांक 07/04/2014 (वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 2288 दिनांक 28/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 11 खदानें रकबा 70.71 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है। इनमें से सभी खदानों की लीज 09/09/2013 के पूर्व की स्वीकृत है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी 0.75 कि.मी., स्कूल ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी 1.3 कि.मी., अस्पताल ग्राम–अहिवारा 5 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हाउस लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राजमार्ग 3.08 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 34 कि.मी. दूर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात 07/07/1998 से 06/07/2018 तक की अवधि हेतु है।
7. जियोलॉजिकल रिजर्व 6,68,800 टन एवं माईनेबल रिजर्व 5,78,050 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.4 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है। वर्तमान में उत्खनन की औसत गहराई 27 मीटर है। अल्टीमेट उत्खनन की गहराई 27 मीटर होगी। अल्टीमेट बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। विगत पांच वर्षों में उत्खनित खनिज की मात्रा 1,56,184 टन है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 7 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 3 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

**उत्खनन की योजना**

| वित्तीय वर्ष | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 1998–1999 | 9,900 |
| 1999–2000 | 11,500 |
| 2000–2001 | 11,000 |
| 2001–2002 | 7,050 |
| 2002–2003 | 80,750 |
| 2003–2004 | 1,04,800 |
| 2004–2005 | 83,400 |
| 2005–2006 | 70,100 |
| 2006–2007 | 56,900 |
| 2007–2008 | 59,900 |
| 2008–2009 | 37,800 |
| 2009–2010 | 29,800 |
| 2010–2011 | 18,900 |
| 2011–2012 | 20,050 |
| 2012–2013 | 50,014 |
| 2013–2014 | 28,702 |
| 2014–2015 | 32,902 |
| 2015–2016 | 26,775 |
| 2016–2017 | 40,500 |
| 2017–2018 | 3,375 |
| 2018–2019 | निरंक |

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

| वर्ष | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | बेंच ऊंचाई (मीटर) | आयतन (घनमीटर) | उत्खनन क्षमता ROM (टन) | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2014 | 2,700 | 6.0 | 16,200 | 40,500 | 28,701 |
| 2014–2015 | 1,500 | 6.0 | 9,000 | 22,500 | 32,903 |
| | 1,200 | 6.0 | 7,200 | 18,000 | |
| 2015–2016 | 2,700 | 6.0 | 16,200 | 40,500 | 26,775 |
| 2016–2017 | 1,800 | 6.0 | 10,800 | 27,000 | 30,375 (जनवरी 2017 तक) |
| | 1,800 | 6.0 | 5,400 | 13,500 | |
| 2017–2018 | 2,700 | 6.0 | 16,200 | 40,500 | जनवरी 2017 से उत्खनन बंद है। |
| कुल | 9,600 | – | 57,600 | 2,02,500 | |

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण :– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/08/2017 द्वारा प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण –**
   1. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 में किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
   2. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_x$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 36.1 डीबीए से 59.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री टी.आर. सिन्हा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स ग्रीन सिटी इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अप्रैल से मार्च 2016 तक 28,775 टन एवं वर्ष 2016–17 में 30,375 टन उत्खनन किया गया है। जनवरी 2017 से उत्खनन बंद है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।

3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है।

4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।

5. खनन क्षेत्र में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / भवन का नाम, कार्य एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. ब्लास्टिंग हेतु जोखिम इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति खदान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। इस हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 28/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

11. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से धौराभाठा रोड जहाँ पर मिट्टी, खदानों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती हैं, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी हैं। इन मार्गों का डी.एम.एफ. के उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जावे। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. गिट्टियां सामान्य दर पर आधारित होना चाहिए। सभी खदानों में एक समान दर आधारित होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं अहाता जो लागू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत निगरानी शासन द्वारा किया जाए। [illegible] की पूर्ति करके होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाले पानी को मुफ्त में किसानों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्राम में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी वाहनें चलती हैं, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-**

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान में उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी संग्रहित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बैकफिलिंग) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रिस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आंकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है। अतः उक्त की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उच्च के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन का आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अद्यतन कर संशोधित रेमिडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आग्युमेंटेशन प्लान, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

8. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

12. इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**15. मेसर्स श्री दीपक गुप्ता (अमेठी सेण्ड माईन, ग्राम-अमेठी, तहसील व जिला-धमतरी), ब्राम्हण पारा, वार्ड नं. 12, गोबरा, नवापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1068)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/132044/2019, दिनांक 17/12/2019।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-अमेठी, तहसील-धमतरी, जिला-धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 364, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता-99,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण उपरान्त **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स Levels हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (मय खदान फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय साहू, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री हिरालाल कुर्रे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमेरी का दिनांक 11/09/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर–बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 779/खनिज/रेत.खो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 17/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1291/खनि./न.क./2019 धमतरी, दिनांक

13/12/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1289/खनि/न.क्र./2018, धमतरी, दिनांक 13/12/2018 के अनुसार जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1237/खनिज/निविदा/ 2018 धमतरी, दिनांक 07/12/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम-अमेठी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-अमेठी 1 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. दूर है। पुल 12 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** — आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई — 706 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई — 240 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 75 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** — आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई — 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई — 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा — 96,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 4.25 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) अवधि दिनांक 17/12/2018 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—**

    i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत अमेठी के नाम से रेत खदान-खसरा क्रमांक 364, क्षेत्रफल 4.90 हेक्टेयर, क्षमता-75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–धमतरी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/03/2018 को द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। बाढ़ अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. वर्ष 2018–19 में 30,832 घनमीटर रेत उत्खनन किया जाना बताया गया है।

iv. वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के बाद उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 40 | 2% | Rs. 0.80 | Following activities at Nearby Government Primary School Village Amethi | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.40 |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.15 |
| | | | Plantation work | Rs. 0.25 |
| | | | **Total** | **Rs. 0.80** |

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–अमेठी) का रकबा 4.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। पहुंच मार्ग पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) संबंधी सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनर्भरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अंत में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी किए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन भी किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री दीपक गुप्ता, अमेरी सेण्ड माईन की खसरा क्रमांक 364, ग्राम–अमेरी, तहसील व जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. **मेसर्स श्री केतन आनंद चौधरी (कोटरासरार सेण्ड माईन, ग्राम–कोटरासरार, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव), बीएनसी मिल कॉलोनी, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1037)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127142/2018, दिनांक 28/11/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/12/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/12/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** — यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–औरेखासरा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 848, कुल लीज क्षेत्र 2.6 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित उत्पादन क्षमता–52,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था**–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह की लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा खदान की सिफारिश/सीमांकन का प्रोफाईल संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

पत्रानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौतम आनंद चौधरी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मामले, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटलभरदा का दिनांक 02/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित रूप घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – खनन प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप संचालक (खा.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8326/खनि02/रेत(खदान)/न.क्र. 315/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2977/खलि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2977/खलि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, कब्रगाह, स्कूल, पुल, बांध, डैम, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 21107/खलि. 06/2019 राजनांदगांव, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोटलभरदा 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल कोटलभरदा 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। पुल 400 मीटर दूर है। स्वीकृत रेत खदान के अपस्ट्रीम में 400 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है। एनीकट की दूरी 400 मीटर से अधिक है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** –परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 165 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 85 मीटर दर्शाई गई है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 52,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वास्तव में उपलब्ध रेत परत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, छायाचित्र सहित प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– पूर्व में इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी अथवा नहीं? संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री-मानसून (Pre-Monsoon) द्वारा दिनांक 25/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्पररी बैंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान स्थापित टेम्पररी बैंच मार्क का वर्ष एवं अन्य मानकों से प्रतिस्थापित होना अपेक्षित है। समिति वांछित की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 12 | 2% | Rs. 0.24 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Kotrasarai | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.45 |
| | | | Total | Rs. 0.45 |

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्रस्तावित स्थान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का जिओ टैगकत्र, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर जिओ मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। जिओ मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**12. मेसर्स मेडेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्रीमती अल्पा श्रीवास्तव), ग्राम–मेडेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 730)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/26182/2018, दिनांक 11/07/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/48549/2018, दिनांक 18/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–मेडेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1002/1, 1002/2, 1002/4, 1002/3, 1003/1, 1003/5, 1003/2, 1003/6, 1004, 1006 एवं 1006/2, कुल लीज क्षेत्र 8.20 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन एवं क्रेशिंग क्षमता – 1,88,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 288वीं बैठक दिनांक 26/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत मेड़ेसरा द्वारा दिनांक 22/07/2009 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लान एलांगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग/ चूप/ खदा–1170/ खान/ 2016–42/ रायपुर दिनांक 23/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 1032/खनिज 2016 दुर्ग, दिनांक 24/11/2016 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 04 खदानें रकबा 01.38 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** –निकटतम आबादी ग्राम–मेड़ेसरा 1.15 कि.मी. स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–मेड़ेसरा 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शिवनाथ नदी 2.8 कि.मी. दूर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-7/2012/12 दिनांक 14/03/2016 के द्वारा माईनिंग प्लान तैयार करवाये जाने एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने के लिए जारी की गई है।
7. जियोलॉजिकल रिजर्व 3.837 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 1.427 मिलियन टन बताया गया है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। ब्लॉक का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर होगी। ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 11 वर्ष है। लगभग 10 किलो लीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेशन, प्लांटेशन, घरेलू उपयोग) जल की आवश्यकता होगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तावित उत्खनन की वर्षवार योजना का विवरण निम्नानुसार है–

उत्खनन की योजना

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन) |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | 18,000 |
| द्वितीय वर्ष | 22,400 |
| तृतीय वर्ष | 26,800 |
| चतुर्थ वर्ष | 44,800 |
| पंचम वर्ष | 67,200 |
| **कुल** | **1,79,200** |

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का सन्निकटीकरण किया गया है।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 18 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 62 से 112.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_x$ 14.2 से 19.8 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना क्षेत्र के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 36.1 डीबीए से 58.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजय श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स ग्रीन सिटी इन्वायरो कंसल्ट, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है।
2. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 40 से 112.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, कार्य एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
7. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–**
   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अधिकतम से अधिक गहरा होकर जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गहराईया बनती है और स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इस पानी का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संरक्षण करवाया जावे। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।
   ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रेशर की धूल होगा उसमें छिड़काव का नियम लागू होगा। इसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रेशर को पूर्णतः कवर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाले पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।
   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
   iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।
   v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदाने है, जिसके पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vii. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, जिससे बहुत दुर्घटना होती है। इसके चलते में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-**

i. डी.एम.एफ. की राशि या सीएसआर की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी संग्रहित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के संचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रस्तावित पीजो मीटर से जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

7. क्रशर हेतु वांछित इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्रशर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्यों (जैसा क्रशर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल

उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक परियोजना का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

9. एन्वायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**13. मेसर्स कल्पेश क्वारी लाईम स्टोन माईन्स, ग्राम-सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 694)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/74407/2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/48624/2019, दिनांक 18/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-सहगांव, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 184/1(पी), कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता-18,732.5 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 280वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत ग्राम-सहगांव द्वारा दिनांक 28/09/2003 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 1097/डीआरजी/एमपीटी/एमपीआरएम/2017 रायपुर दिनांक 27/08/2017 को वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 186 दिनांक 18/04/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 15 खदानें रकबा 83.88 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सहगांव 0.68 कि.मी., शहर भिलाई 22 कि.मी., शासकीय स्कूल ग्राम-सहगांव में 0.86 कि.मी., अस्पताल

ग्राम—नंदनी 45 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.24 कि.मी. दूर है। छोटा नाला 80 मीटर एवं शिवनाथ नदी 1 कि.मी.है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** —परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** — लीज क्षेत्र मेसर्स [illegible] के नाम पर है। लीज क्षेत्र 20 वर्षों के लिए 06/12/1981 से 05/12/2001 तक की अवधि हेतु दिया था। लीज क्षेत्र दिनांक 06/12/2001 से 05/12/2021 तथा दिनांक 06/12/2021 से 05/12/2031 तक की अवधि हेतु नवीनीकृत है।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 18/01/1982 द्वारा उत्खनन कार्य हेतु भू-प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। उत्खनन कार्य दिनांक 01/04/1982 को प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में उत्खनन कार्य जून 2017 से बंद होना प्रतिवेदित किया है।

8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1012, दिनांक 24/10/2018 द्वारा उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार उत्पादन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

9. कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, जिला—दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 6036, दिनांक 20/09/2018 अनुसार निकटतम वन क्षेत्र नंदिनी—खुंदनी से खदान की दूरी लगभग 3 कि.मी. पर स्थित है। वन क्षेत्र की बाउण्ड्री से लीज क्षेत्र की दूरी लगभग 6 कि.मी. दूर है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व 12,10,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,10,000 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.86 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान एवं अंतिम गहराई 32 मीटर है। अंतिम वर्तमान में खनन [illegible] बेंच में किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 5 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जल का स्त्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

**उत्खनन की योजना**

| वित्तीय वर्ष | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 1994–1995 | 4,407 |
| 1995–1996 | 69,872 |
| 1996–1997 | 6,711 |

| | |
|---|---|
| 1997–1998 | 1,360 |
| 1998–1999 | 1,710 |
| 1999–2000 | 1,380 |
| 2000–2001 | 820 |
| 2001–2002 | 1,320 |
| 2002–2003 | 8,316 |
| 2003–2004 | 14,770 |
| 2004–2005 | 3,319 |
| 2005–2006 | 5,015 |
| 2006–2007 | 6,950 |
| 2007–2008 | 7,750 |
| 2008–2009 | 4,650 |
| 2009–2010 | 2,450 |
| 2010–2011 | 1,680 |
| 2011–2012 | 10,880 |
| 2012–2013 | 6,570 |
| 2013–2014 | 12,280 |
| 2014–2015 | 3,650 |
| 2015–2016 | 450 |
| 2016–2017 | 1,750 |
| 2017–2018 | 260 |
| 2018–2019 | निरंक |

**उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना**

| वर्ष | उत्खनन क्षमता (टन) |
|---|---|
| 2017–18 | 10,230 |
| 2018–19 | 13,250 |
| 2019–20 | 15,100 |
| 2020–21 | 16,700 |
| 2021–22 | 16,732 |
| **कुल** | **72,012** |

**नोट:** तालिका में दशमलव के बाद के अंको का सन्निकटीय किया गया है।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 28/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वायरनमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरनमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित कोयी

1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:**

समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–**
   1. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
   2. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 9.0 से 13.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.$_x$ 14.2 से 18.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

**समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अक्षांश फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय शाह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन विट्रू इन्वायरो कंसल्टेंट्स, भोपाल की ओर से श्री विजय शाह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जनवरी से मार्च 2016 तक 300 टन, वर्ष 2016–17 में 1,730 टन एवं वर्ष 2017–18 में 250 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत से खदान बंद है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।

3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आंकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।

4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 83 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।

5. उत्खनन आदि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति खदान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. लोक सुनवाई दिनांक 23/10/2018 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम-मेडेसरा तहसील-धमधा जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2018 द्वारा प्रेषित किया गया है।

11. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं–**

   i. इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या अहिवारा से धमधा हाईवे रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जावे। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। खनिजों सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कवर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाले पानी को मुफ्त में किसानों को सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

iv. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

v. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी रखरखाव किया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–**

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जहां स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी संग्रहित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर भविष्य में भराव (बैकफिलिंग) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उसका के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. क्लस्टर आदि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार आवश्यक कर सारांशित रेमिडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आग्मेंटेशन प्लान, इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

8. उत्खनन आदि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / संस्था का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं रखरखाव, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना की रोकथाम का उपाय आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

12. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**14. मेसर्स श्रीमती शालिनी सिंह (बोरसी सेण्ड माईन्स, ग्राम–बोरसी, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी), अशोका सोसायटी, सेक्टर–2, रायपुर तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1088)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 132221/2019, दिनांक 19/12/2019।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बोरसी, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी में किया जाता है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–99,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सम्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जावे।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री शिवाजन कुमार, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोरसी का दिनांक 16/02/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर–बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 783/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 17/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1294/खनिज/रेत खदान/2019 धमतरी, दिनांक 13/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1292/खनिज/रेत खदान/2019 धमतरी, दिनांक 13/12/2019 के अनुसार जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1217/खनिज/निविदा/ 2019 धमतरी, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बोरसी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–बोरसी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. दूर है। अपस्ट्रीम में एनीकट 1.38 कि.मी. एवं डाउनस्ट्रीम में ब्रीज 830 मीटर दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 575 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 167 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 40 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर से अधिक है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–

i. पूर्व में आवेदक, ग्राम पंचायत [illegible] के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, रकबा 4.95 हेक्टेयर, क्षमता – 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–[illegible] द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन क्रमांक 729, दिनांक 31/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत भराव के लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 17/12/2019 को रेत भराव के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के बाद प्रस्तावक निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 40 | 2% | Rs. 0.80 | Following activities at Nearby Government Primary School Village-Bora: | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.40 |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.15 |
| | | | Plantation work | Rs. 0.25 |
| | | | **Total** | **Rs. 0.80** |

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया

गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–बोरसी) का रकबा 4.85 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। पहुँच मार्ग में 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में सिल्टेशन स्टडी अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) मात्रा सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, पर्यावरण, स्थानीय जनजाति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनर्भरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन ले लिए जाएगें। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्रीमती कामिनी सिंह, बोरसी सैण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–बोरसी, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 4.85 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 78,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। नदी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स बी.एल. रामानी लाईम स्टोन माईन, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 542)

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/61454/2016, दिनांक 31/12/2016 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/48862/2016, दिनांक 19/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 420, 421, 422, 438, 439, 440, 441 एवं 450, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.325 हेक्टेयर है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता 9,900 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 241वीं बैठक दिनांक 25/11/2017 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटरी कराया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग/ चूना/ खयो–286/ नाग/2016/30–रायपुर दिनांक 10/08/2016 (अवधि 2016–17 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 696 दिनांक 27/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें रकबा 43.61 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सहगांव 0.88 कि.मी. एवं स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–नंदनी–खुंदनी में स्थित है। राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 1 कि.मी. दूर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री बी.एल. रामानी के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्ष अर्थात 27/06/1994 से 26/06/2014 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के पत्र क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग, दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टा अवधि वृद्धि बाबत् जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

से उत्खनन किया जाता है। भू-भाग के 17,200 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 12 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। खदान की संभावित आयु 40 वर्ष है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। क्रशिंग यूनिट 2,250 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थापित है। क्रशर एवं आंतरिक मार्गों पर डस्ट सप्रेशन हेतु पानी का छिड़काव किया जाता है। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 मीटर है। 10 किलोलीटर प्रतिदिन जल की खपत होती है। जल की आपूर्ति ट्यूबवेल से की जाती है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

उत्खनन की योजना

| वित्तीय वर्ष | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 2005–2006 | 1,382 |
| 2006–2007 | 864 |
| 2007–2008 | 600 |
| 2008–2009 | 900 |
| 2009–2010 | 280 |
| 2010–2011 | 370 |
| 2011–2012 | 200 |
| 2012–2013 | 260 |
| 2013–2014 | 14,180 |
| 2014–2015 | 11,684 |
| 2015–2016 | निरंक |
| 2016–2017 | निरंक |
| 2017–2018 | निरंक |
| 2018–2019 | निरंक |

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

| वर्ष | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | गहराई (मीटर) | आयतन (घनमीटर) | उत्खनन क्षमता ROM (टन) |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | वास्तविक | | | 11,840 |
| 2015–2016 | वास्तविक | | | निरंक |
| 2016–2017 | 1,200 | 3.0 | 3,600 | 9,000 |
| 2017–2018 | 1,200 | 3.0 | 3,600 | 9,000 |
| 2018–2019 | 1,200 | 3.0 | 3,600 | 9,000 |

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2018 द्वारा प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 18 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 40.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_x$ 14.2 से 19.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरूप है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रश्नांकित समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible], कोऑर्डिनेटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री [illegible] उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015-16 से उत्खनन बंद है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।

3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आंकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है।

4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थान का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. उत्खनन हेतु अंतिम इन्व्हायरमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति [illegible] में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. इन्व्हायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम-मेढ़ेसरा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

10. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:-**

   i. इस क्षेत्र की [illegible] अधिकांश से [illegible] पर गिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती है, जो स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से तत्काल शीघ्र ही संधारण करवाया जावे। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रेशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रेशर को पूर्णतः [illegible] जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में किसानों को सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

   v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। औद्योगिक श्रम का उल्लंघन भी किया जा रहा है।

vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी वाहनें चलती है, इससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-**

i. डी.एम.एफ. की राशि का ग्रामीणों की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान में उत्खनन की अधिकतम गहराई 20 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है उनमें वर्षा का पानी संग्रहित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बैकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आंकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः इसके कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. ग्राउण्ड वॉटर लेवल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्ययोजना व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं सुधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

9. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति खदान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

10. इन्वॉयरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

**14. मेसर्स श्री भगतराम साहू (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन्स), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 538)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /61379/2016, दिनांक 28/12/2016 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48877/ 2018, दिनांक 18/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह दुर्ग में संचालित चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 1882, 1883 एवं 1886, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 0.955 हेक्टेयर है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता – 2,100 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 245वीं बैठक दिनांक 18/01/2016 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी का दिनांक 20/10/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएनएल–431/ नागपुर दिनांक 16/06/1995 के द्वारा 2.70 एकड़ हेतु अनुमोदित है। मॉडिफिकेशन इन माईनिंग प्लान एलोंगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएनएल–431/ एमजीसी–2015 दिनांक 23/03/2016 (वर्ष 2015–16 से 29/10/2016 तक की अवधि हेतु) द्वारा लीज क्षेत्र में कमी अर्थात् 2.38 एकड़ (0.965 हेक्टेयर) हेतु अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बूंदी के पत्र क्रमांक 1968 दिनांक 30/12/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर परिधि में कुल 09 खदानें रकबा 30.75 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – निकटतम आबादी ग्राम–नदनी–खुडानी 0.88 कि.मी., स्कूल ग्राम–नदनी–खुडानी 1.5 कि.मी., अस्पताल ग्राम–... नगर 3 कि.मी. एवं मंदिर ... 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है।

2. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री ... के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्ष अर्थात् 30/10/1998 से 29/10/2018 तक की अवधि हेतु है।

4. जियोलॉजिकल रिजर्व 1,76,429 टन एवं माईनेबल रिजर्व 19,838 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। अंतिम अनुसार उत्खनन की अधिकतम गहराई 15 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की गहराई 1.2 मीटर एवं अनुमानित मात्रा 468.81 घनमीटर है। भू–भाग के 6,180 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन होना बताया गया है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 5.5 किलोलीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 1.5 किलोलीटर प्रतिदिन) है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। गारलैण्ड ड्रेन का निर्माण किया जायेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव किया जाता है। वृक्षारोपण किया गया है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

उत्खनन की योजना

| वित्तीय वर्ष | उत्खनन क्षमता (टन) |
|---|---|
| 1999 | 1,040 |
| 2000 | 660 |
| 2001 | 1,210 |
| 2002 | 280 |
| 2003 | निरंक |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |

| | |
|---|---|
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | 6,100 |
| 2014 | 700 |
| 2015 | निरंक |
| 2016 | 2,510 |
| 2017 | 940 |
| 2018 | निरंक |
| कुल | 13,440 |

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

| वर्ष | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | गहराई (मीटर) | आयतन (घनमीटर) | उत्खनन क्षमता ROM (टन) |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2016 | 406.03 | 2.0 | 812 | 2,030 |
| 2016–2017 | 406.24 | 2.0 | 812 | 2,031 |
| 2017–2018 | 408.60 | 2.0 | 817 | 2,043 |
| 2018–2019 | 419.12 | 2.0 | 838 | 2,096 |
| कुल | — | — | 3,280 | 8,200 |

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डअप किया गया है।

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–
   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 14 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 48.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{x}$ 14.2 से 19.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 29.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(4) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकामद, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट कन्सल्टेन्ट के रूप में मेसर्स ग्रीन सिंधु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री [illegible] साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक 2,510 टन एवं वर्ष 2016-17 में 940 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के बाहर और 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं वर्तमान स्थल का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन हाइड्रोजियोलॉजिकल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति खदान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. इन्वायरमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

11. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. गुरु डीह की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से यथाशक्य रीति से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे मकान एवं आवास जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। सड़क को पूर्णतः पक्की होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में किसानों को सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदाने है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी गाड़ियाँ चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–**

i. डी.एम.एफ. की राशि या सीएसआर की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान की उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. पूर्व में समिति की 24वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य अप्रैल 2014 से बंद है। वर्तमान में अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक 2,510 टन एवं वर्ष 2016-17 में 840 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, चौड़ाई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बैकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रावधान सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन गतिविधियों से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आंकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है। अतः संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उसके कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार आंकलन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

9. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

11. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (जैसा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, सड़क दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

12. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति खदान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

13. इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**17. मेसर्स श्री अभिनव तिवारी (ढेंगा सेण्ड माईन्स, ग्राम–ढेंगा, तहसील व जिला–राजनांदगांव), ग्राम–सोमनी, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1038)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127065/2019, दिनांक 29/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ईमेल दिनांक 09/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–ढेंगा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 688, कुल लीज क्षेत्र 4.85 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, उपरान्त **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था**–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक

गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अविनाश तिवारी, कंसलटेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा फाईल, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 04/04/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खा.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8525/खनि02/रेत(प्लान)/न.क्र. 322/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2107/खनि.लि.06/2019 राजनांदगांव, दिनांक 19/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि अन्तर्गत अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2108/खनि.लि.06/2019

राजनांदगांव, दिनांक 19/08/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, डैम, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** –एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2453/खलि.08/2019 राजनांदगांव, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 0.5 कि.मी., अस्पताल सोमनी 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 180 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 118 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 18 मीटर है।

11. **खनन स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,030 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 1.5 मीटर से 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) द्वारा दिनांक 06/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परेरी बेंच मार्कों का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान अस्थिर टेम्परेरी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार की चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 22.65 | 2% | Rs. 0.45 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Era | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.45 |
| | | | Total | **Rs. 0.45** |

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिह्न बनाकर, कॉलम में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर चित्र मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) के आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। चित्र मैप में टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 413वीं बैठक दिनांक 07/02/2020 के एजेन्डा बिन्दु क्रमांक–3 में "दिनांक 31/01/2020 तक प्राप्त नवीन आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय लिया जाना" तथा दिनांक 04/02/2020 तक प्राप्त नवीन आवेदनों पर आज की बैठक में चर्चा किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. मेसर्स श्री संदीप गुप्ता (संबलपुर सैण्ड माईन्स, ग्राम–संबलपुर, तहसील व जिला–कोण्डागांव), टिकरापारा, जिला–उ.ब. कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1107)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 135666 / 2020, दिनांक 08 / 01 / 2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–संबलपुर, तहसील व जिला–कोण्डागांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/1, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नारंगी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–48,917 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं पेयजल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिन्ह बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के तल/ग्राउण्ड Levels लेकर चिन्ह मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिन्ह मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्भरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को स्थल में रेत की लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपस्थित समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (संलग्न फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स श्री जितेन्द्र सिंह परिहार (टिकनपाल सेण्ड माईन, ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बस्तर) राजेन्द्र नगर जगदलपुर, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1108)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नंबर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 135761 / 2020, दिनांक 08 / 01 / 2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नारंगी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता-40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया** गया:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, डेम, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावे। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह में आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स श्री पवन जायसवाल (बगदर सैण्ड माईन, ग्राम–बगदर, तहसील–करतला, जिला–कोरबा), बरमकुरिया, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1109)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/135784/2020, दिनांक 08/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बगदर, तहसील–करतला, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 402, कुल लीज क्षेत्र 4.75 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–53,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के लम्बाई तथा चौड़ाई में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) में जी.पी.एस. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में

टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) का भी उल्लेख कर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स शिवशक्ति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड(03), ग्राम–बहुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1110)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 135708/ 2020, दिनांक 08/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बहुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1026/2, 1026/5, 1026/6 एवं 1027, कुल क्षेत्रफल – 0.585 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता – 29,035.92 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

(अ) **समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स श्री हरेन्द्र सिंह भदौरिया (कोलपाल कानापाल सेण्ड माईन, ग्राम–कोलपाल कानापाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर), सनसिटी, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1112)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/135810/2020, दिनांक 08/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कोलपाल कानापाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 172 एवं 88, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित उत्खनन क्षमता–40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपस्थित होकर तत्संबंधी जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**6. मेसर्स श्री मिटठूरी प्रसाद साहू (इंजरम सेण्ड माईन, ग्राम-इंजरम, तहसील-कोंटा, जिला-सुकमा), पुरानी बस्ती कोंटा, तहसील-कोंटा, जिला-सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1113)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136929/2020, दिनांक 09/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-इंजरम, तहसील-कोंटा, जिला-सुकमा स्थित खसरा क्रमांक 174, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शबरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता-1,42,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने

बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपस्थित समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**7. मेसर्स गुदमाखा स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री वेंकटेश्वर राव), ग्राम–गुदमाखा, तहसील–उसूर, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1115)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 135039/2020, दिनांक 08/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुरगाखार, तहसील–उसूर, जिला–बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल रकबा–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 46,892.5 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**8. मेसर्स श्री आनंद राम साहू (रामपुर सेण्ड माईन, ग्राम–रामपुर, तहसील–नरहरपुर, जिला–उ.ब. कांकेर), श्यामतराई, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1117)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136036/2020, दिनांक 09/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–रामपुर, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1083, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिन्ह अंकन कर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर सिंक मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) में आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। सिंक मैप में टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**9. मेसर्स किस्टोन इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.– श्री वेंकटेश्वर राव), ग्राम–मुरदण्डा, तहसील–उसूर, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1118)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136008/2020, दिनांक 09/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–[illegible], तहसील–उसूर, जिला–बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324, कुल रकबा – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 32,196.25 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुरानी खदान की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. **मेसर्स श्री अहमद रजा (बालूद सेण्ड माईन्स ग्राम–बालूद, तहसील–दन्तेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा), ग्राम–बालूद, तहसील–दन्तेवाड़ा, जिला–द.ब. दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1119)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/136090/2020, दिनांक 09/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बालूद, तहसील–दन्तेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 31, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शंखनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–96,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में जी.पी.एस. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री विजय कुमार गुप्ता (स्टोन माईन्स ऑफ मेकिंग गिट्टी), ग्राम–बोडी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1121)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/126125/2020, दिनांक 10/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बोडी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1 एवं 102, कुल रकबा – 3.76 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता – 1,08,200 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रदर्शन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री प्रतीक सिंह नेताम (गाड़ाडीह सैण्ड माईन्स, ग्राम–गाड़ाडीह, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी), ग्राम–नवागांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1123)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/130357/2020, दिनांक 11/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–गाड़ाडीह, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 2081, कुल लीज क्षेत्र 4.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–89,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (विवरण फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

**13. मेसर्स घघोली लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री नरेश लाल रावटेकर), ग्राम–घघोली, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 964)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 40835/2019, दिनांक 30/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पथेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल – 0.607 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–3,022.81 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

**14. मेसर्स पथेली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रमेश लाल तलरेजा), ग्राम–पथेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 9630)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/42466/2019, दिनांक 29/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से क्रमशः दिनांक 11/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पथेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल – 0.703 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता – 7,179.91 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**15. मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री गिरीश तलरेजा), ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 993)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/42409/2019, दिनांक 30/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ईमेल दिनांक 14/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 392(पार्ट), 393, 394 एवं 395(पार्ट), कुल रकबा – 1.861 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**16. मेसर्स सिरली सॉईल ऑर्डिनरी क्ले खदान (प्रो.– श्री नरेश लाल तलरेजा), ग्राम–सिरली, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 803)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/42449/2019, दिनांक 29/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 11/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरगी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 32, कुल क्षेत्रफल – 1.417 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–2,750.78 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**:–

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रदूषण फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

17. **मेसर्स श्री प्रतीक सिंह नेताम (परसांदा रेण्ड माईन, ग्राम–परसांदा, तहसील–कुसमी, जिला–बलरामपुर), नवागांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1122)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136396/2020, दिनांक 11/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–परसांदा, तहसील–कुसमी, जिला–बलरामपुर स्थित खसरा क्रमांक 2290, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–99,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**:–

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर,

वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर सिद्ध मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क्स (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क्स (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। सिद्ध मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क्स (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**18. मेसर्स श्री शशीकांत साहू (चारामा सेण्ड माईन, ग्राम–चारामा, तहसील व जिला–कांकेर), बैकुंठ नगर भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1128)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136364/2019, दिनांक 12/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चारामा, तहसील व जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 131, कुल रकबा क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–1,18,750 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय** लिया गया:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपस्थित समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतिकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

19. मेसर्स श्री जी. संदीप कुमार (अंतागढ़ सेण्ड माईन, ग्राम–अंतागढ़, तहसील–अंतागढ़, जिला–कांकेर), शांति नगर, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1128)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136579/2020, दिनांक 12/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–अंतागढ़, तहसील–अंतागढ़, जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 1238, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन जोगी धानहा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–1,18,750 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में बेंच के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**20. मेसर्स नवना ब्रिक्स अर्थ क्वारी एण्ड क्लिन फायर्ड ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री तिलक राम साहू), ग्राम–नवना, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1130)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136777/2020, दिनांक 14/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवना, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 82, 83, 84 एवं 85, कुल रकबा 1.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–1,744.65 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी प्रमाणित प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
4. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

21. **मेसर्स श्री भीमराम विश्वकर्मा (पोण्ड सेण्ड माईन, ग्राम–पोण्ड, तहसील–गुरूर, जिला–बालोद), ग्राम–भोथली, तहसील व जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1132)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136549/2020, दिनांक 14/01/2020।

**प्रकरण का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पोण्ड, तहसील–गुरूर, जिला–बालोद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 152, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

22. **मेसर्स डाका क्वाईट्ज क्ले क्वारी (प्रो.– श्री चंदूलाल नाई), ग्राम–डाका, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक [illegible])**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 42129/2019, दिनांक 30/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियां होने के कारण दिनांक 14/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित क्वाईट्ज क्ले (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डाका, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 178/1, कुल रकबा – 1.627 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,850 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट District Survey [illegible] की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

23. मेसर्स श्री किशन अग्रवाल (गोरियाटोली सैण्ड माईन, ग्राम–गोरियाटोली, तहसील–मनोरा, जिला–जशपुर), तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1133)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/136921/2020, दिनांक 15/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–गोरियाटोली, तहसील–मनोरा, जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 492/1, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन लावा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–29,787 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. प्रस्तावित खदान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बावत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह की लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान क्षेत्र में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**24. मेसर्स श्री जितेन्द्र तेवारी (बी-1 बड़े तुम्नार सेण्ड माईन, ग्राम-बड़े तुम्नार तहसील-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा), नेलसनार, तहसील-भैरमगढ़, जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1088)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/131646/2019, दिनांक 16/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 02/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 15/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रकरण का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-बड़े तुम्नार, तहसील-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 791, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खंदिन्नी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता-31,020 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) के आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**25. मेसर्स श्री अमित अग्रवाल (दुलदुला सेण्ड माईन, ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर), तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1134)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/138924/2019, दिनांक 15/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 908, कुल लीज क्षेत्र 2.1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गिरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,315 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**26. मेसर्स श्री उत्कर्ष एग्रोटेक (बनियागांव सैण्ड माईन्स, ग्राम–बनियागांव, तहसील व जिला–कोण्डागांव), भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1135)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136797 / 2020, दिनांक 15 / 01 / 2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बनियागांव, तहसील व जिला–कोण्डागांव स्थित खसरा क्रमांक 574, कुल लीज

रकबा 1.488 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन [illegible] नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–29,760 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM stucture) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप व टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शायें, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु [illegible] किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

27\. मेसर्स श्री शंभुनाथ दुबे (कसिरा सेण्ड माईन, ग्राम–कसिरा, तहसील–मनोरा, जिला–जशपुर), भागलपुर चौक, भागलपुर, तहसील व जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1138)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136426/2020, दिनांक 16/01/2020।

**प्रकरण का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कसिरा, तहसील–मनोरा, जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन लावा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–48,405 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावे। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त बिन्दुवार जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

28. **मेसर्स श्री दीपक गुप्ता (बालपुटी सेण्ड माईन, ग्राम–बालपुटी, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर), नयापारा, ब्राम्हणपारा, गोकुल नगर, जिला–जगदलपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1137)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/136929/2019, दिनांक 15/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बालपुटी, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 245, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं पर ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल का खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की तत्संबंधित मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**29. मेसर्स श्री एलबर्ट एक्योनी (सोनाबाल सैण्ड माईन, ग्राम–सोनाबाल, तहसील व जिला–कोण्डागांव), भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1138)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136940 / 2020, दिनांक 15 / 01 / 2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सोनाबाल, तहसील व जिला–कोण्डागांव स्थित खसरा क्रमांक 38, कुल लीज क्षेत्र 2.18 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नारंगी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–43,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिन्ह बनाकर,

सर्वेक्षण में रेत खदान की लेवलस् (Levels) लेकर डिजि मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवलस् (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। डिजि मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वास्तव में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस् (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

30. **मेसर्स रोहित कुमार कुम्भकार (कांतीपुर सैण्ड माईन, ग्राम–कांतीपुर, तहसील–ओडगी, जिला–सूरजपुर), अर्जुंद, लाटाबोड़, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1078)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/132904/2019, दिनांक 21/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से आपत्र दिनांक 08/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 15/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कांतीपुर, तहसील–ओडगी, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 107/384,

कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मैनुअल पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–47,300 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 04/03/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में लाट.लॉग. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में लेवल की नापजोख (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त बुलवाए जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**31. मेसर्स आर. बी. मिनरल्स बनहरदी लाईम स्टोन क्वारी (पार्टनर– श्री राहुल गोलछा), ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 880)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/36759/2019, दिनांक 26/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 326/2 एवं 327, कुल क्षेत्रफल – 0.708 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता – 11,920 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

32. मेसर्स रामपुर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पलटू राम साहू), ग्राम–रामपुर, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1002)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/42362/2019, दिनांक 06/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रामपुर, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 78/2, कुल क्षेत्रफल – 0.81 हेक्टेयर में है। खदान की अधिकतम उत्खनन क्षमता – 4,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

33. मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड(2), ग्राम–बहुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1073)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/132814/2019, दिनांक 21/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बहुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1030/3 एवं 1030/7, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्खनन क्षमता – 88,962.40 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**34. मेसर्स घोरदा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री निर्मल चंद जैन), ग्राम–घोरदा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 947)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/41924/2019, दिनांक 31/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 25/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घोरदा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 372/1, 372/2 एवं 373, कुल क्षेत्रफल – 1.9851 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 14,269 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. लीज डीड की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (क्रमांक फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**35. मेसर्स श्री देवलाल वर्मा मोखली लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–मोखली, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 945)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/41329/2019 दिनांक 31/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ईडीएस दिनांक 26/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोखली, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 26/3, 27 एवं 28, कुल क्षेत्रफल–0.944 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–2,280 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. लीज डीड की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

36. **मेसर्स सुजाता मिनरल्स रामपुर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती सुजाता ठकरिया), ग्राम–रामपुर, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1083)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 133031 / 2019, दिनांक 28 / 12 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 09 / 01 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18 / 01 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रामपुर, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 100 / 1 एवं 101 कुल क्षेत्रफल – 0.448 हेक्टेयर में है। खदान की अपेक्षित उत्खनन क्षमता – 3,900 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**:–

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

37. **मेसर्स शिवा मिनरल्स कांपा क्वार्टज माईन (प्रो.– श्रीमती कुसुमबेन चावड़ा), ग्राम–कांपा, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1083बी)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 42396 / 2019, दिनांक 28 / 12 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14 / 01 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत

करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/01/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित क्वार्टजाइट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अंजोरा, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 62, 64 एवं 65, कुल रकबा – 4.587 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता – 20,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**38. मेसर्स झुमरपारा ब्रिक्स अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक्स मिट्टी प्लांट (प्रो.– श्री पवन अग्रवाल), ग्राम–झुमरपारा, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1138)**

**ऑनलाइन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/137612/2019, दिनांक 16/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–झुमरपारा, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 267, 588, 590 एवं 591, कुल रकबा 1.38 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–2,234.29 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

**33. मेसर्स श्री दीपक कुमार शर्मा (डी–2, बड़े सुरोखी सेण्ड माईन, ग्राम–बड़े सुरोखी, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा), एस.ई.सी.एल., मानिकापुर, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1084)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/134033/2019, दिनांक 28/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बड़े सुरोखी, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 440, कुल लीज क्षेत्र 3.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शंखिनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–98,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं पर ग्रिड बनाकर, वर्षाकाल में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्पररी बैंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बैंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**46. मेसर्स श्री दीपक कुमार शर्मा (डी-1, बड़े सुरेखी सेण्ड माईन, ग्राम-बड़े सुरेखी, तहसील-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा), एस.ई.सी.एल., मनिकापुर, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1088)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/134062/2019, दिनांक 29/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से प्रथम दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-बड़े सुरेखी, तहसील-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 230, कुल लीज क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन डंकिनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-45,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परारी बैंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बैंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित उत्खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. वीजा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

41. मेसर्स अर्जुनी फ्लेग स्टोन (प्रो.– श्री हरिश्चंद साहू), ग्राम–अर्जुनी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1017)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 43964 / 2019, दिनांक 12 / 11 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30 / 11 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21 / 01 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित फ्लेग पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अर्जुनी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 364 / 1 एवं 365 / 3, कुल क्षेत्रफल – 0.899 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 15,614.75 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

42. मेसर्स सुन्दरपुर ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री दिनेश कुमार गुप्ता), ग्राम–सुन्दरपुर, तहसील–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1140)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 137926 / 2020, दिनांक 21 / 01 / 2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सुन्दरपुर, तहसील–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 249, 251 एवं 252 / 2, कुल क्षेत्रफल 0.468 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–1,070 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

**43. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कन्हाईबंद, तहसील व जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1542)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 50065/ 2020, दिनांक 22/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-कन्हाईबंद, तहसील व जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 56/1, क्षेत्रफल 6.98 हेक्टेयर (17.28 एकड़) में कोल वॉशरी क्षमता-0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की प्रस्तावित लागत 20 करोड़ है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ कोल वॉशरी स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों (यदि कोई हो) हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
4. प्रस्तावित पानी छिड़काव व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नक्शा एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
5. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, रॉ-कोल, वाशड कोल, रिजेक्ट कोल के परिवहन रूट एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत की जाए।

7. ठोस अपशिष्टों (रिजेक्ट कोल एवं कोल स्लरी) के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. ले-आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जावे। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

10. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जावे। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।

11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

**44. मेसर्स श्री चंद्रकांत साहू (कुल्हाडीकोट सेण्ड माईन, ग्राम–कुल्हाडीकोट, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी), निवास पता, गोबरा नवापारा, राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1143)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नंबर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 138290/2020, दिनांक 23/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुल्हाडीकोट, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 718, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–99,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**:–

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिन्ह बनाकर,

वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्पररी बैंच मार्क (TBM) के आर.एल. को–आर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बैंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त मूलभूत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

**45. मेसर्स आलीखुटा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री हेमंत चौधरी), ग्राम–आलीखुटा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 988)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नंबर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/44888/2019, दिनांक 30/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने के कारण दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आलीखुटा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक

333/2A एवं 334/2A, कुल क्षेत्रफल – 0.483 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तद्‌नुसार सूचित किया जाए।

**48. मेसर्स अर्जुनी फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री अभय जैन), ग्राम–अर्जुनी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 997)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/42876/2019, दिनांक 01/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ई-मेल दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अर्जुनी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 126/2, 3, 4 एवं 128, कुल क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,600 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**–

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही

की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**47. मेसर्स श्री राकेश कुमार साहू (ग्राम पंचायत सुकमा सेण्ड माईन, सुकमा, तहसील व जिला–सुकमा), उताई नाका, जेल चौक, पद्मनाभपुर, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1144)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 138553/2020, दिनांक 29/01/2020।

**प्रकरण का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान सुकमा, तहसील व जिला–सुकमा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 138 कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शबरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–82,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिह्न बनाकर

खदान में रेत जमाव के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Cemented TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।

10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

11. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**48. मेसर्स श्री सुकेश दुबे (बी–1, हरदी सेण्ड माईन, ग्राम–हरदी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा), ग्राम–बिटलीपाली, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1146)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/138864/2020, दिनांक 26/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–हरदी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1435, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से

किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्खनन क्षमता–87,480 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में

अपेक्षित समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उक्त निर्णय से परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**49. मेसर्स श्री मुकेश दुबे (बी–2, हरदी सेण्ड माईन, ग्राम–हरदी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा), ग्राम–बिटांगीपाली, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1147)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/136975/2020, दिनांक 26/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–हरदी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1438, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,21,410 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किए जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) के आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

50. **मेसर्स वासुदेव ट्रेक लिंक, ग्राम–रामबोड़, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 778)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 32029/ 2019, दिनांक 27/02/2019 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/ 50201/ 2019, दिनांक 28/01/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम–रामबोड़, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 502(पार्ट), 502/2 एवं 503/3, कुल क्षेत्रफल – 11.962 हेक्टेयर में डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,500 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 2.5 मेगावॉट से 5 मेगावॉट, एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 4.5 मेगावॉट से 8 मेगावॉट, स्टील मेल्टिंग शॉप (इंडक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 90,000 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर (प्रोड्यूसर गैस) क्षमता – 3,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा से 6,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा, प्रस्तावित न्यू वॉयर ड्राईंग मिल 60,000 टन प्रतिवर्ष, गाईडिंग वॉयर मिल 30,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 48 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) अनुसार टीओआर

प्लांट्स एवं श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एवं नॉन-फेरस) का संशोधित टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन एवं लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

51. **मेसर्स श्री मुकेश दुबे (अमलडीहा सैण्ड माईन, ग्राम–अमलडीहा, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा), ग्राम–बिटांगीपाली, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1148)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/138879/2020, दिनांक 28/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान, ग्राम–अमलडीहा, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 223, कुल लीज क्षेत्र 3.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिन्ह बनाकर,

वर्तमान में रेत खदान की लेवल्स (Levels) लेकर डिजि मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) के आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। डिजि मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**62. मेसर्स श्री कान्हा कुमार (पैरागुड़ा सेण्ड माईन, ग्राम–पैरागुड़ा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा), बेलतरा, तहसील– बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1161)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/139416/2020, दिनांक 29/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पैरागुड़ा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित [illegible]

खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,24,950 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, डेम, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावे। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अक्षांश देशांतर सहित) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**53. मेसर्स श्री ज्ञानदास महंत (मोहान सेण्ड माईन्स, ग्राम–मोहान, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा), शिवाजी मार्ग, ओहदाली, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1149)**

**ऑनलाइन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/139339/2020, दिनांक 28/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मोहान, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 283, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–83,300 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, प्री–मानसून में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

5. एम.ओ.आई. संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**84. मेसर्स श्री मुकेश गोयल (पहंदा सेण्ड माईन, ग्राम–पहंदा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा), मन्नू चौक, टिकरापारा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1160)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 129410/2020, दिनांक 28/01/2020।

**प्रकरण का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पहंदा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,24,950 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिह्न लगाकर, वर्तमान में रेत सतह की लेवलिंग (Levels) लेकर चिह्न मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलिंग (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिह्न मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपस्थित होकर समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**55. मेसर्स मुरतोण्डा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रामशरण सिंह), ग्राम–मुरतोण्डा, तहसील व जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1152)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/138953/2020, दिनांक 29/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुरतोण्डा, तहसील व जिला–सुकमा स्थित खसरा क्रमांक 01(भाग) एवं 05

(पार्ट), कुल क्षेत्रफल 0.82 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–7,938 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**:-

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**86. मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1153)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एस.आई.ए./सीजी/आईएनडी/50406/2020, दिनांक 29/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 270/1, 247/2, 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15 एवं 247/17, क्षेत्रफल 5.362 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (2 गुणा 20 टन) (एम.एस. बिलेट्स/स्टील इंगॉट्स) क्षमता–1,30,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (1 गुणा 325 टन प्रतिदिन) (टी.एम.टी., गार्डर/चैनल/पट्टा एवं अन्य रोलिंग प्रोडक्ट्स) क्षमता–1,21,750 टन प्रतिवर्ष तथा कोल गैसीफायर क्षमता–3 गुणा 6,400 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 37.5 करोड़ होगा।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों (यदि हो तो) हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी गणना सहित। प्रस्तावित रोलिंग मिल में यदि री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. प्रस्तावित ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नक्शा एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**57. मेसर्स प्रोटेक व्हाईट एण्ड केयर एलएलपी, इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र बरतोरी, ग्राम-बरतोरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081ए)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/48155/2019, दिनांक 09/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम-बरतोरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 37 से 43 एवं 62 से 68, कुल रकबा 1.52 हेक्टेयर में स्थापित व्हाइट सीमेंट बेस्ड वॉल केयर पुट्टी क्षमता-36,000 टन प्रतिवर्ष के परिसर के अंतर्गत प्रस्तावित न्यू व्हाइट सीमेंट क्षमता-36,000 टन प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनिवेश रुपए 12 करोड़ होगा।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

58. **मेसर्स श्री भूपेन्द्र कुमार साहू (ठाकुरदिया सेण्ड माईन, ग्राम–ठाकुरदिया, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा), धनौद, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1194)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/139726/2020, दिनांक 30/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–ठाकुरदिया, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–98,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एल.ओ.आई. की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) में

आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। फिक्स बेंच से टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर वास्तव में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. यदि पूर्व में आवंटित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**59. मेसर्स कुसलोग्या आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रामबरन सिंह), ग्राम–कुसलोग्या, तहसील व जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1156)**

**ऑनलाइन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/138951/2020, दिनांक 30/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुसलोग्या, तहसील व जिला–सुकमा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 06 कुल रकबा 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–7,850 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो उसकी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. नीयत सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को वांछित समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**69. मेसर्स कजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–शाहालदूदी, तहसील– दुर्गकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 785)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33508/2019, दिनांक 21/03/2019 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 33508/2019, दिनांक 30/01/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–शाहालदूदी एवं भावा, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित वन कक्ष क्रमांक 841 एवं 842, कुल क्षेत्रफल – 75 हेक्टेयर में है। परियोजना प्रस्तावक क्षमता विस्तार के तहत् खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष [Above threshold value, +45% Fe] एवं 0.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष [Below threshold value, -45% Fe which is part of overburden]) तथा आयरन ओर अपग्रेडेशन का उपयोग करने हेतु न्यू आयरन ओर बेनिफिसिएशन प्लांट (प्राइमरी ड्राई/वेट) क्षमता – 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/11/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) एवं 2(बी) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स एवं मिनरल बेनीफिसिएशन हेतु जारी किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन एवं लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

**61. मेसर्स दिल फ्लाई ऐश ब्रिक्स (प्रो.– श्री दिलेश्वर प्रसाद साहू), ग्राम–हरेठी, तहसील–शक्ति, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 950)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/43336/2019, दिनांक 21/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 31/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हरेठी, तहसील–शक्ति, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 21/2, 22/1, 23/1, 25/1, 26, 27, 28/1, 29/1, 28/2, 29/2, 28/3 एवं 29/3, कुल क्षेत्रफल 1.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रधान फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**62. मेसर्स श्री गोवर्धन चक्रधारी (बलदेवपुर लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–बलदेवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 974)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 43804/2019, दिनांक 15/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से क्रमश दिनांक 11/11/2019 एवं दिनांक 31/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 31/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बलदेवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 869, 870, 876(पार्ट) एवं 877, कुल क्षेत्रफल 1.295 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता– 12,500 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**–

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रधान फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

63. मेसर्स श्री सुलभ अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–सालिक डिहिया, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 863)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/42488/2019, दिनांक 28/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सालिक डिहिया, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 345/2, 357/1, 358/1(पार्ट), 358/2(पार्ट), 358/3 एवं 361(पार्ट), कुल क्षेत्रफल 1.92 हेक्टेयर में है। खदान की अधिकतम उत्पादन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

64. मेसर्स इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्राम–कुटेलाभाठा एवं खपरी, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 809)

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/38153/ 2019, दिनांक 24/06/2019 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर एसआईए/सीजी/एनसीपी/30692/2019, दिनांक 03/02/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कुटेलाभाठा एवं खपरी, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित ग्राम–कुटेलाभाठा का खसरा क्रमांक 1, 2, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 30, 91/2, 97, 98, 99, 100, 101, 106/2, 108/2, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 150 एवं ग्राम–खपरी का खसरा क्रमांक 176, 177, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 एवं 213 में प्रस्तावित कन्स्ट्रक्शन

बिल्डिंग प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल – 13,86,300 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 3,38,860 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का निवेशित लागत 1,400 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/11/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 8(बी) टाउनशिप एण्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का स्टेण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) हेतु टीओआर जारी किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. जारी टी.ओ.आर एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

68. **कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, ग्राम–कोनबिर्रा, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1159)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आरआईवी/139729/2020, दिनांक 04/02/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित सिंचाई बैराज परियोजना है। परियोजना ग्राम–कोनबिर्रा, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 345/2, 357/1, 358/1(पार्ट), 358/2(पार्ट), 358/3 एवं 361(पार्ट), कुल कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 5006 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। परियोजना की प्रस्तावित जल क्षमता – 9.23 मिलियन लीटर प्रतिदिन है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उक्त खदान क्षेत्र की टोपोग्राफी या उक्त क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसे– मृदा अपरदन आदि के उचित संरक्षण की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. उक्त क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
5. प्रस्तावित परियोजना में उपयोग होने वाले भूमि (वन, राजस्व, निजी स्वामित्व, बंजर आदि) संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

([illegible])
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
छत्तीसगढ़

**मेसर्स श्री हैप्पी अग्रवाल, डांगरगांव सेण्ड माईन**
**के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 828, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम–डांगरगांव, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर (छ.ग.) में मैनी नदी के रेत उत्खनन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत पुनर्भरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अंत में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन भी किए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन भी किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े जनवरी 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण, संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर चौड़ाई तक की रेत नदी तट (दोनों छोर) के साथ छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 21 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का रेजिम, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र का कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रणाली यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, कदम्ब, शीशू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 87 | 2% | Rs. 1.74 | Following activities at Nearby Government Primary School | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Village-Tangargaon | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.60 |
| | | | Potable drinking water facility | Rs. 0.20 |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.20 |
| | | | Solar lighting system | Rs. 0.40 |
| | | | Plantation work | Rs. 0.34 |
| | | | Total | **Rs. 1.74** |

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्ययोजना विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, संस्थाओं एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र / राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों / शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि प्रवासी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में

किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा प्रत्याहरण/निरस्तत के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

३१. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में ३० दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

३२. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट २०१० की धारा १६ में दिए गए प्रावधानों अनुसार, ३० दिन की समयावधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**मेसर्स श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, रामपुर सेण्ड माईन की पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 268, कुल लीज क्षेत्र 3.44 हेक्टेयर, ग्राम–रामपुर, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में मांण्ड नदी से रेत उत्खनन क्षमता 34,400 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भराव (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, जलीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 3.44 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 34,400 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं आरक्षित गैर माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।
5. रेत पुनर्भरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी किए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज की सतह / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत खदान के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण, मशीन (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा अधिमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति

से जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 24 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का बैंक, टर्बिडिटी एवं जल बहाव की स्वच्छता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल सूखी क्षेत्र में किया जाए जिससे नदी तथा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। जन्तुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए–

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund |

| | | | | Allocation (in Lakh) |
|---|---|---|---|---|
| Rs. 78 | 2% | Rs. 1.56 | Following activities at Nearby Government Primary School Village-Radhapur | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.50 |
| | | | Potable drinking water facility | Rs. 0.20 |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.20 |
| | | | Solar lighting system | Rs. 0.40 |
| | | | Plantation work | Rs. 0.26 |
| | | | **Total** | **Rs. 1.56** |

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्ययोजना विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थाओं से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20. कार्य स्थल पर यदि श्रमिक अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

22. श्रमिकों का समय-समय पर व्यावसायिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावे।

23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्ययोजना में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा स्वीकृति / निरस्तीकरण के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अभिलेखार्थ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण से कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़

इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बावत निर्णय ले सके। प्रदत्त में कोई भी विचलन अथवा उल्लंघन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**मेसर्स श्री दीपक गुप्ता, अमेठी सेण्ड माईन्स**
**को खसरा क्रमांक 384, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर, ग्राम–अमेठी, तहसील व जिला–धमतरी (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत पुनर्भरण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन सम्पन्न होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन भी किए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन भी किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण / संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं पोलित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 15 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 71 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, सड़क/रोड, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का बेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। जन्तुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभावों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं कर जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बढ़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,900 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा पहुंच मार्ग पर 1,000 नग पौधे किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 40 | 2% | Rs. 0.80 | Following activities at Nearby Government Primary School | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Village-Amethi | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.40 |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.15 |
| | | | Plantation work | Rs. 0.25 |
| | | | Total | Rs. 0.80 |

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्ययोजना विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देश, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20. खदान स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जायेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

22. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।

23. उत्खनन की तकनीकी, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

25. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्ययोजना में परिवर्तन अथवा निर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में

किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा पारस्परिक / निरस्त के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अभिलेख, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**मेसर्स श्रीमती कामिनी सिंह, बोरसी सेण्ड माईंस**
**को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर, ग्राम–बोरसी, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थलीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी लिए जाएंगे। इसके अलावा खदान लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन भी किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए किसी उपकरण, संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर से नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (ग्राउंड रीफ) को कवर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 38 मीटर की दूरी से प्रारंभ किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल सूखे क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। जन्तुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रणाली यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढंके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा पहुंच मार्ग में 1,000 नग पौधे किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए–

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 40 | 2% | Rs. 0.80 | Following activities at Nearby Government Primary School | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Village-Boro | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.40 |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.15 |
| | | | Plantation work | Rs. 0.25 |
| | | | Total | Rs. 0.80 |

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्यवार विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. की तहत निर्धारित कार्यवाही छः माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, एजेन्सी एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 की प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20. कार्य स्थल पर यदि श्रमिक खनिज कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

22. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।

23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

25. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों को संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में

किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्खनन/निर्माण के मामलों की और स्पष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अभिलेखागार, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य शासन द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने अथवा निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.